



क्रमांक: निसंशि/मेरिट/पं.4(1)/अध्यापक/2021/4915-5A23 दिनांक 21/02/2023
आदेश

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा राजस्थान द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5) संस्कृत/सामान्य (नॉनटीएसपी/टीएसपी) पद पर निम्नलिखित आदेशों द्वारा नियुक्तियां प्रदान कर नियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 13.02.2023 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था-

क्र.सं.	आदेश क्रमांक	आदेश दिनांक	विषय-क्षेत्र
1	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/3135-42	27.01.2023	संस्कृत-टीएसपी
2.	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/3143-51	27.01.2023	सामान्य-नॉनटीएसपी
3	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/3152-60	27.01.2023	संस्कृत-नॉनटीएसपी

उपर्युक्त नियुक्ति आदेशों द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा नियत तिथि 13.02.2023 तक कार्यारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यग्रहण आदेश दिनांक 13.02.2023 द्वारा दिनांक 21.02.2023 तक कार्यग्रहण अवधि वृद्धि की गई थी। दिनांक 21.02.2023 तक कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में अंतिम अवसर प्रदान करते हुये कार्यग्रहण अवधि दिनांक 28.02.2023 तक पुनः बढ़ायी जाती है। नियत दिनांक 28.02.2023 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मूल नियुक्ति आदेश में वर्णित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(डॉ० भास्कर शर्मा)
निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
2. सम्बन्धित संकुल प्रभारी।
3. संस्थापन शाखा-4, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
5. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर